न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–236 / 2023
GCMS NO:- 2023/372

दायर दिनांक: 01.09.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मोरपाल आ. फून्दीलाल जाति गुर्जर नि0 ग्राम बडीपडाप

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

प्रत्प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया।

निर्णय दिनांक 06.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बडीपडाप पटवार मण्डल रजलावता में खसरा नम्बर 151, 163, 164, 166, 167, 169, 186, 248, 252, 254, 255, 257, 63 कुल किता 13 कुल रकबा 3.6808 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी मोरपाल पुत्र फून्दीलाल हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली तलब कर शीघ्र सुनवाई के निवेदन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली नियत तारीख पेशी दिनांक 14.07.2025 से तलब की गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस की जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित ग्राम बडीपडाप पटवार मण्डल रजलावता की भूमि खसरा नम्बर 151, 163, 164, 166, 167, 169, 186, 248, 252, 254, 255, 257, 63 कुल किता 13 कुल रकबा 3.6808 हैक्टयर जो प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, मौके पर कोई विवाद नही हो इसलिए उक्त भूमि के चारों तरफ डोल लगाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फर्द दस्तावेज जिसमे दिनांक 30.06.2016 को हुए सीमाज्ञान का मौका पर्चा पेश कर भी निवेदन किया गया कि पूर्व मे जब राजस्व टीम मौके पर सीमाज्ञान करने पहुंची तो पडोसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही मे अवरोध पैदा किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पुलिस जाब्ते की उपस्थिति मे पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान का मौका पर्चा, प्रस्तुत अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 151, 163, 164, 166, 167, 169, 186, 248, 252, 254, 255, 257, 63 का पूर्व मे राजस्व टीम द्वारा दिनांक 30.06.2016 को सीमाज्ञान करने पहुंची लेकिन पडौसी खातेदारान द्वारा अवरोध पैदा करने से सीमाज्ञान नही हो सका था। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान का आवेदन किया जाने पर भी सीमाज्ञान तत्समय नही हो सका जिससे प्रार्थी द्वारा न्यायालय की शरण ली गयी अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बडीपडाप मे खसरा नम्बर खसरा नम्बर 151, 163, 164, 166, 167, 169, 186, 248, 252, 254, 255, 257, 63 कुल किता 13 कुल रकबा 3.6808 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ